

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)-43/2020...755 पटना, दिनांक :- 12/02/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 1073 दिनांक 26.08.2023 द्वारा श्री दीपक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01340) के विरुद्ध कार्यों में शिथिलता, लापरवाही बरतने के साथ कार्यों में अभिरूचि नहीं रखने एवं विभागीय मापदंड के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 6997 दिनांक 13.09.2023 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा दिनांक 13.07.2023 को ही याददाश्त लेखन का कार्य पूर्ण कर नक्शा पर नम्बरिंग कर दिया गया है, परन्तु कानूनगो का नक्शे पर हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण नक्शा जमा नहीं हो पाया था। साथ ही अंकित किया गया है कि दिनांक 12.07.2023 को ये दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि ये समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कर लेंगे।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 8660 दिनांक 27.10.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 109 दिनांक 01.02.2024 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इनके द्वारा खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्रपत्र-06 की इंट्री का कार्य किया जा रहा है एवं निदेशालय ज्ञापांक 5966 दिनांक 25.07.2023 के आलोक में प्रक्रमवार विलम्ब अवधि के मानदेय की कटौती गयी है, इसके दृष्टिगत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण कर लिए जाने एवं वास्तविक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के दृष्टिगत स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा इसके साथ संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि बंदोबस्त पदाधिकारी स्तर पर प्रक्रमवार विलम्ब अवधि के मानदेय की कटौती की गयी है। इसके दृष्टिगत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में इन्हें चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

साथ ही चूंकि श्री कुमार द्वारा मंतव्य प्राप्त होने की तिथि तक प्रपत्र-06 की इंट्री का कार्य किया जा रहा है, अतः बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि निदेशालय ज्ञापांक 5966 दिनांक 25.07.2023 के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)-43/2020...755 पटना, दिनांक :- 12/02/2024

प्रतिलिपि :- श्री दीपक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01340), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)-43/2020...755 पटना, दिनांक :- 12/02/2024

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)-43/2020... 755 पटना, दिनांक :- 12/02/2024

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

12/24